न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 187/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
विरमाराम पुत्र देवाराम, उम्र 55 वर्ष, कौम जाट, साकिन चूंकिया, पटवार मण्डल गोलिया जीवराज, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		1. तहसीलदार सिणधरी । 2. रामाराम पुत्र देवाराम, 3. मांगाराम पुत्र देवाराम, 4. विशनाराम पुत्र आईदानराम, कौम जाट, साकिन टूंकिया, पटवार मण्डल गोलिया जीवराज, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित।
3. शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 19.11.2025

संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी खेत तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल गोलिया जीवराज, राजस्व ग्राम दूंकिया के मूल खसरा संख्या 136/1 रकबा 78–15 बीघा की आई हुई है जिसका आपसी सहमति से विभाजन राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 में आदेश क्रमांक/लोक अदालत/भू०अ०/2018/454 दिनांक 21.06.2018 को किया गया जिससे विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 542 जो निम्न प्रकार विभक्त खसरे प्रार्थी के नाम खसरा संख्या 136/7 रकबा 12–19 बीघा वर्तमान 2.0953 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 02 के नाम खसरा संख्या 136/6 रकबा 12–18 बीघा वर्तमान 2.0872 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 03 के नाम खसरा संख्या 136/8 रकबा 12–18 बीघा वर्तमान 2.0872 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 04 के नाम खसरा संख्या 136/1 रकबा 39–02 बीघा वर्तमान 6.3264 हैक्टेयर एवं प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के नाम संयुक्त रास्ते का खसरा संख्या 136/9 रकबा 0–18 बीघा अर्थात् वर्तमान 0.1456 हैक्टेयर दर्ज किया गया, आपसी सहमति के विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 542 में विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:11:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

में उल्लेखित नक्शा अनुसार पुष्ट नक्शा भी पारित किया गया था। बंटवाडे विभाजन में प्रस्तावित रंग एवं नक्शे के दर्शाये अनुसार तरमीम अनुसार लट्ठा ट्रेस में राजस्व कार्मिकों ने तरमीम दर्ज नहीं कर गलत तरमीम दर्ज कर दी। जिससे मौके व नक्शा रेकर्ड में अन्तर हो गया है कि उक्त तरमीम जो वर्तमान नक्शा जो विभाजन के समय प्रस्तावित किया गया है उससे एवं मौके पर चल रहे रास्ते से मेल नहीं खा रहा है। कि वास्तविक तरमीम जो रकबे अनुसार आवेदन के साथ संलग्न नजरिये नक्शा परिशिट अ एवं सहमति विभाजन की ना० की पृष्ट पर अंकित अनुसार होनी थी जो सहमति विभाजन में दर्शाये रंग अनुसार किया जाना उचित था मगर राजस्व कार्मिकों ने अपनी मनमर्जी से अन्यत्र कर खसरों के नक्शे की आकृति एवं रास्ते की तरमीम में भिन्नता पैदा कर दी है। कि मूल विभाजन के समय दिये गये रकबे अनुसार की गई तरमीम जो प्रार्थी एवं विप्रार्थी ने सहमति विभाजन पर दर्शाये रंग से नामान्तरकरण की पृष्ट पर की गई तरमीम से भिन्न लट्ठा टेस एवं ऑनलाईन सेग्रीगेशन में कलम त्रुटि से बिना पैमाना एवं पुष्ट तरमीम को नजर अंदाज करते हुए मौके से भिन्न तरमीम होने से अन्तर आ रहा है संलग्न नक्शा परिशिष्ट अअनुसार रखी जावें क्योंकि मौके पर प्रार्थी इस प्रकार काबिज काश्त, रहवासी ढाणी, कृषि कुंआ एवं पशुओं का चारबाडे बने हुए है एवं आम रास्ता भी संयुक्त छोडा गया है उस भी अन्यत्र तरमीम कर दिया गया है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर जो नामान्तरण संख्या 542 की फर्द पर अंकित पुष्ट तरमीम अनुसार राजस्व कार्मिकों ने नहीं कर अपनी मर्जी से ग्राम दूंकिया, पटवार मण्डल गोलिया जीवराज, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 136/1 से विमक्त हुए खसरों एवं रास्ते के खसरा संख्या 136/9 की तरमीम कर दी गई है उसे ना० की पुष्ट तरमीम एवं संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार संलग्न विभाजन पत्र में दर्शाये रंगों अनुसार सही तरमीम राजस्व रेकर्ड में सही कर शुद्धिकरण का दर्ज का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल हुए 30 दिवस से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया।

उमयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी की खातेदारी खेत तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल गोलिया जीवराज, राजस्व ग्राम दूंकिया के मूल खसरा संख्या 136/1 रकबा 78–15 बीघा की आई हुई है जिसका आपसी सहमति से विभाजन राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 में आदेश कमांक/लोक. अदालत/मू०अ०/2018/454 दिनांक 21.06.2018 को किया गया जिससे विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 542 जो निम्न प्रकार विभक्त खसरे प्रार्थी के नाम खसरा संख्या 136/7 रकबा 12–19 बीघा वर्तमान 2.0953 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 02 के नाम खसरा संख्या 136/6 रकबा 12–18 बीघा वर्तमान 2.0872 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 03 के नाम खसरा संख्या 136/8 रकबा 12–18 बीघा वर्तमान 2.0872 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 04 के नाम खसरा संख्या 136/1 रकबा 39–02 बीघा वर्तमान 6.3264 हैक्टेयर एवं प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के नाम संयुक्त रास्ते का खसरा संख्या 136/9 रकबा 0–18 बीघा अर्थात् वर्तमान 0.1456 हैक्टेयर दर्ज किया गया, आपसी सहमति के विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 542 में विभाजन प्रस्ताव में उल्लेखित नक्शा अनुसार पुष्ट नक्शा भी पारित किया गया था। बंटवाडे विभाजन में प्रस्तावित रंग एवं नक्शे के दर्शाये अनुसार तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:11:50 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार लट्ठा ट्रेस में राजस्व कार्मिकों ने तरमीम दर्ज नहीं कर गलत तरमीम दर्ज कर दी। जो दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी खेत तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल गोलिया जीवराज, राजस्व ग्राम दूंकिया के मूल खसरा संख्या 136/1 रकबा 78–15 बीघा की आई हुई है जिसका आपसी सहमति से विभाजन राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 में आदेश कमांक/लोक. अदालत/भू०अ०/2018/454 दिनांक 21.06.2018 को किया गया जिससे विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 542 जो निम्न प्रकार विभक्त खसरे प्रार्थी के नाम खसरा संख्या 136/7 रकबा 12–19 बीघा वर्तमान 2.0953 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 02 के नाम खसरा संख्या 136/6 रकबा 12–18 बीघा वर्तमान 2.0872 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 03 के नाम खसरा संख्या 136/8 रकबा 12–18 बीघा वर्तमान 2.0872 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 04 के नाम खसरा संख्या 136/1 रकबा 39–02 बीघा वर्तमान 6.3264 हैक्टेयर एवं प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के नाम संयुक्त रास्ते का खसरा संख्या 136/9 रकबा 0–18 बीघा अर्थात् वर्तमान 0.1456 हैक्टेयर दर्ज किया गया, आपसी सहमति के विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 542 में विभाजन प्रस्ताव में उल्लेखित नक्शा अनुसार पुष्ट नक्शा भी पारित किया गया था। बंटवाडे विभाजन में प्रस्तावित रंग एवं नक्शे के दर्शाये अनुसार तरमीम अनुसार लट्ठा ट्रेस में राजस्व कार्मिकों ने तरमीम दर्ज नहीं कर गलत तरमीम दर्ज कर दी। जिससे मौके व नक्शा रेकर्ड में अन्तर हो गया है कि उक्त तरमीम जो वर्तमान नक्शा जो विभाजन के समय प्रस्तावित किया गया है कि वास्तविक तरमीम जो रकबे अनुसार आवेदन के साथ संलग्न नजरिये नक्शा परिशिट अ एवं सहमति विभाजन की ना० की पृष्ट पर अंकित अनुसार होनी थी जो सहमति विभाजन में दर्शाये रंग अनुसार किया जाना उचित था मगर राजस्व कार्मिकों ने अपनी मनमर्जी से अन्यत्र कर खसरों के नक्शे की आकृति एवं रास्ते की तरमीम में भिन्नता पैदा कर दी है। उसे ना० की पुष्ट तरमीम एवं संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार संलग्न विभाजन पत्र में दर्शाये रंगों अनुसार सही तरमीम राजस्व रेकर्ड में सही कर शुद्धिकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा तहसीलदार सिणधरी को राजस्व ग्राम दूंकिया के मूल खसरा संख्या 136/1 रकबा 78–15 बीघा के संबंध में आपसी सहमति से विभाजन के नामान्तरकरण संख्या 542 की पुश्त पर अकिंत तरमीम अनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्त करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:11:50 IST
Reason: SelfAttested

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी